UPSI120000491996

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिसवाँ-सीतापुर।

पीठासीन अधिकारी- (रजत शुक्ला),(उ०प्र० न्यायिक सेवा)UP03272

मूलवाद सं०-121/1996

दिनाँक 10.11.2021

निस्तारण प्रार्थना पत्र 6ग2 व 15ग2

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र कागज संख्या 6ग2 नियत है।

कागज संख्या 6ग2 प्रार्थना पत्र वादी की ओर से इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि- वादी की की अनुपस्थिति में दिनाँक 08.08.2005 को वाद निरस्त कर दिया गया था। प्रार्थी को दिनाँक 19.10.2013 को मूल वाद से सम्बन्धित सम्मन मिलने पर प्रार्थी को जानकारी हुई कि वाद प्रार्थी के विरुद्ध जारी है, जबकि वह समझ रहा था कि वाद में सुलह के कारण अब कोई कार्यवाही नहीं चल रही है।प्रार्थी द्वारा विलम्ब जानकारी न होने व उचित विधिक परामर्श न मिल पाने के कारण हुआ जो कि क्षम्य है। अतः वादी को अधिनियम की धारा 5 का लाभ देते हुए वाद में पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र का निस्तारण गुण दोष के आधार पर किया जाये।

प्रार्थना पत्र कागज संख्या 6ग2 के विरुद्ध प्रतिवादी द्वारा आपत्ति कागज संख्या 15ग2 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि- वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दोषपूर्ण एवं आधारहीन है। वादीय भूमि हेतु पक्षों के मध्य कभी सुलह की बात नहीं हुई। वादी जानबूझ कर उपरोक्त वाद में कई पेशियों पर उपस्थित नहीं रहा। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थऩा पत्र अत्यधिक समयबाधित है। अतः वादी का प्रार्थऩा पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली लंच बाद पुनः पेश हो।

लंच बादः-

लंच बाद पत्रावली पुनः पेश हुई। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा आदेश दिनाँक 08.08.2005 को मूल वाद वादी की अनुपस्थिति में खारिज कर दिया गया था तथा पत्रावली अभिलेखागार सम्प्रेषित की गयी, जिस पर दिनाँक 26.02.2014 को प्रकीर्ण वाद अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 प्रस्तुत किया गया जिसमें वादी द्वारा प्रार्थना पत्र कागज संख्या 3ग अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 मय शपथ पत्र कागज संख्या 4ग तथा प्रार्थना पत्र कागज संख्या 6ग2 अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जिस पर प्रतिवादी की आपत्ति क्रमशः कागज संख्या 14ग2 तथा कागज संख्या 15ग2 प्रस्तुत की गयी। न्यायालय द्वारा दिनाँक 13.01.2020 को प्रार्थऩा पत्र कागज संख्या 3ग हर्जे पर स्वीकार करते हुए आदेश दिनाँक 08.08.2005

अपास्त कर पत्रावली को मूलवाद पर दर्ज कर दिया गया।

चूंकि न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र कागज संख्या 3 ग आदेश 9 नियम 9 स्वीकार कर पत्रावली को मूलवाद पर दर्ज कर दिया गया है, ऐसी स्थिति में यह जाहिर है कि प्रार्थना पत्र कागज संख्या 6 ग 2 मियाद अधिनियम तथा उसकी आपत्ति कागज संख्या 15 ग 2 भी तद्नुसार निस्तारित की जा चुकी है। अतः प्रार्थना पत्र कागज संख्या 6 ग 2 पर पुनः सुनवाई का कोई आचित्य नहीं है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनाँक 02.12.2021 को पेश हो।

(रजत शुक्ला)
सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०
बिसवाँ-सीतापुर।

दुर्गा शंकर (स्टेनो)/-

Digitally signed by Rajat Shukla
Date: 2021.11.10 14:18:15 IST
Reason: Document Owner
Location: civil judge (Junior Division) Biswan Sitapur